कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी बेमेतरा

जिला बेमेतरा छत्तीसगढ़
फोन नं. 07824-296022 ई-मेल cg.deo.bemetara2@gmail.com

ज्ञाप क्र./872 /स्था./सीधी भर्ती/ई–संवर्ग/2021/ बेमेतरा, दिनांक **25/08/2021**

//आदेश//

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन अटल नगर नवा रायपुर के पत्र कमांक एफ आर नं. 1103/2019/20–दो अटल नगर दिनांक 09.03.2021 के अनुकम में लोक शिक्षण संचालनालय रायपुर के पत्र क्रमांक/स्था /विज्ञापन/सीधी भर्ती/2019/422–पी.ए.अटल नगर दिनांक 09.03.2019 के द्वारा विज्ञापन जारी किया गया था। छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा, विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन नवा रायपुर के पत्र कमांक एफ 12–22/2020/20–दो नवा रायपुर दिनांक 19.02.2021 के अनुकम में विज्ञापित पदों हेतु छ.ग. व्यापम द्वारा जारी परीक्षा दिनांक 30.09.2019 की वरीयता के आधार पर आपके दस्तावेजो के सत्यापन उपरांत **सहायक शिक्षक विज्ञान ई–संवर्ग** के पद पर आपके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर सहायक शिक्षक तृतीय श्रेणी सातवे वेतनमान के वेतन मैट्रिक्स लेवल 06 के पद पर नियुक्त करते हुए उनके नाम के सम्मुख कॉलम नंबर 06 में अंकित शाला में पदस्थ किया जाता है :–

स.क.	रोल नंबर	अभ्यर्थी का नाम एवं पिता/पति का नाम	जाति संवर्ग	पता	पदांकित शाला का नाम	वि.ख.	चयनित संवर्ग
1	2	3	4	5	6	7	8
97	13060480	HIMANSHU KAUSHIK c/o SAKET BIHARI KAUSHIK	OBC	VILLAGE-SEMARTAL, SEMARTAL , BILASPUR, CHHATTISGARH, 495009	शासकीय प्राथमिक शाला भुसण्डी, वि.ख. साजा	साजा	ई–संवग

25/8/21
जिला शिक्षा अधिकारी
बेमेतरा

उपरोक्त नियुक्ति निम्नांकित शर्तो के अधीन होगी :–

1. चयनित सहायक शिक्षक दिनांक **25/09/2021** तक पदांकित शाला मे कार्यभार ग्रहण करेंगे। निर्धारित तिथि उपरांत कार्यभार ग्रहण न करने पर यह आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
2. चयनित सहायक शिक्षक विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में दस्तावेजों का सत्यापन उपरांत ही पदांकित शाला में कार्यभार ग्रहण कर सकेंगे। विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक को ही वास्तविक रूप से कार्यभार ग्रहण माना जावेगा।
3. छ.ग. शासन, वित्त विभाग द्वारा जारी वित्त निर्देश 21/2020 दिनांक 29.07.2020 एवं अधिसूचना दिनांक 23.07.2020 के अनुसार सीधी भर्ती के पदों पर चयनित शासकीय सेवकों को तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि में निम्नानुसार स्टायपेन्ड देय होगा –
   प्रथम वर्ष – उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 70 प्रतिशत
   द्वितीय वर्ष – उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 80 प्रतिशत
   तृतीय वर्ष – उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 90 प्रतिशत
   परंतु परिवीक्षा अवधि में स्टायपेन्ड के साथ अन्य भत्ते शासकीय सेवक की तरह प्राप्त होंगे। सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्ति तीन वर्ष की परिवीक्षा पर तथा अस्थायी होगी। परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूर्ण न करने की दशा में उचित एवं पर्याप्त कारणों के आधार पर परिवीक्षा अवधि एक वर्ष तक बढ़ाई जा सकेगी।
4. छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग की अधिसूचना दिनांक 05.05.2019 की कंडिका 06 की उप कंडिका (5) के अनुसार सेवा मे सीधी भर्ती से नवनियुक्त सहायक शिक्षक ई (एल.बी.) संवर्ग की वरिष्ठता सूची मे शामिल होगी।
   नवनियुक्त सहायक शिक्षक की वरिष्ठता व्यापम द्वारा जारी मेरिट सूची के कम में निर्धारित की जावेगी तथा वरिष्ठता निर्धारण में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों का पालन किया जायेगा।
5. यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के चरित्र के संबंध में दिये गये शपथ पत्र के आधार पर अंतरिम रूप से प्रदान की जा रही है। अभ्यर्थी यह शपथ पत्र देंगे कि उनके विरूद्व कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नही है, यदि पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन में कोई ऐसी जानकारी प्राप्त होती जो संबंधित अभ्यर्थी को शासकीय सेवा हेतु अनर्ह/अनुपयुक्त सिद्ध करती हो तो बिना किसी पूर्व सूचना के उसकी सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।
6. चयनित अभ्यर्थी द्वारा दी गई जानकारी/प्रमाण पत्र यदि गलत पाये गये तो उन्हे बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा से पृथक किया जा सकेगा तथा उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अधीन कार्यवाही की जा सकेगी।